

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :आई.डी.एस.पी./2020/301

दिनांक : 18/3/2020

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
2. समस्त मुख्य चि० एवं स्वा० अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय: कोरोना वायरस (COVID-19) के संभावित मरीजों के सैम्पल लेने बाबत।

उक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संभावित व्यक्तियों का सैम्पल लेते समय उक्त व्यक्ति की सम्पूर्ण यात्रा विवरण (विदेश से आया है तो उसके सम्पर्क में आये सभी व्यक्तियों की लाइन-लिस्ट) एवं रूट चार्ट लेना सुनिश्चित करवा लेवें :-

1. उक्त व्यक्ति कहां से एवं कब आया है।
2. उक्त व्यक्ति कब-कब एवं कहां-कहां गया है।
3. उक्त व्यक्ति कहां-कहां कितने दिन ठहरा है।
4. घर पर या घर से बाहर किस-किस से मिला है।
5. कौनसे वाहन का उपयोग किया है।
6. प्रतिदिन की दिनचर्या का पूर्ण विवरण क्या है।

उक्त सूचना सैम्पल लेते समय ही लेना सुनिश्चित करावें जिससे कि आने वाले समय में यदि उक्त व्यक्ति का सैम्पल पॉजिटिव आता है तो उसकी यात्रा विवरण के अनुसार अन्य सम्पर्क में आये व्यक्तियों के बचाव एवं उपचार में सुविधा मिल सकें।

(डा० के०के० शर्मा)
निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर (राज०)

क्रमांक :आई.डी.एस.पी./2020/301

दिनांक : 18/3/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-:

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज० सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
3. अति० निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) मुख्यालय।
4. राज्य नोडल अधिकारी (आई.डी.एस.पी.), मुख्यालय।
5. समस्त सयुक्त निदेशक-जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश संबंधित को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर (राज०)